पटना नगर निगम

आदेश

सफाई व्यवस्था की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कतिपय सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर ठेला भेन्डर, फल-सब्जी इत्यादि के विक्रेता अथवा खाने पीने के सामानों के ठेलो एवं कतिपय अन्य दुकानों द्वारा ठेला/दुकान से निकलनेवाले अपशिष्ट को सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थानों यथाः सड़कों पार्क में फेक दिया जाता है । ऐसा करने से न केवल शहर को स्वच्छ रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है बल्कि कचरे को सड़क के किनारे/ पार्क इत्यादि में पड़े रहने के कारण लोगों को भी दुर्गन्ध एवं असुविधा का सामना करना पड़ता है ।

उल्लेखनीय है बिहार नगरपालिका अधिनियम-207 की धारा-227 एवं 228 में निम्नांकित प्रावधान है :-

*"227. **प्रतिषेध** ।- कोई व्यक्ति तथा किसी भूमि अथवा भवन का स्वामी या अधिभोगी -*

(क) किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ठोस अपशिष्ट न फेकेगा और न जमा करेगा,

(ख) सार्वजनिक स्थान पर किसी गन्दा पदार्थ को बहाने की अनुमति नहीं देगा,

(ग) ऐसे किसी स्थान पर, जो इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध या नियत नहीं कराया गया हो,मृत पशु की लाश अथवा इसके किसी भाग को जमा नहीं करेगा या अन्यथा ठिकाने नहीं लगायेगा ।

*228. **गलियों में किसी ठोस अपशिष्ट का ढेर लगाने या फेंकने के कारण दंड** ।- (1) जो कोई इस अधिनियम के उपलबंधों का उल्लंधन करते हुए किसी गली में अथवा सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा-कचरा का ढेर लगाता हो या कोई ठोस अपशिष्ट या मलबा जमा करता हो या फेंकता हो अथवा इसे जमा करवाता या फेंकता हो अथवा इसकी अनुमति देता हो या अपने परिसरों से कोई गंदगी या ठोस अपशिष्ट निकलने देता हो,तो उसे तत्काल कम-से-कम एक सौ रूपया के जुर्माने से जैसा कि*

विनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय, दंडित किया जाएगा ।"

समीक्षा के कम में ऐसा पाया जा रहा है कि उपर्युकत प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है ताकि ठोस अपशिष्ट कचरा के निपटारे में किसी प्रकार की परेशानी न हो । इस निमित्त नगर निगम पटना क्षेत्रान्तर्गत सभी दुकानों/ठेला भेन्डर,फल सब्जी बिकेता एवं अन्य खाने पीने की दुकान रखनेवाले ठेला चालकों को यह निदेशित किया जाता है कि प्रत्येक ऐसे दुकान एवं ठेला चालक अपने साथ दुकान एवं ठेला पर एक उपयुक्त क्षमता का कूड़ादान रखेंगे एवं फल सब्जी खाने पीने के सामान से निकलनेवाले कचरे को यहाँ-वहाँ सड़क अथवा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेकेंगे । ऐसे कचरे को उनके द्वारा एकत्र कर नगर निगम के कूड़ेदानों एवं चिन्हित कूड़ा संग्रहन स्थलों पर ही व्यवस्थित रूप से फेका जाय ।

इसके साथ-साथ पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत सभी स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एवं कार्यपालक पदाधिकारी को धारा-228 के तहत 100/- रूपये का जुर्माना वसूलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । ऐसे प्राधिकृत सभी कर्मी वसूल किये जानेवाले जुर्माना को प्रतिदिन का हिसाब कार्यपालक पदाधिकारी को देंगे एवं जुर्माना की राशि नगर निगम के खाते में जमा कर देंगे ।

उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित निर्देश दिये जाते है :-

1. कोई भी दुकानदार/ठेला/कियोस्क/सब्जी विक्रेता/मीट, मुर्गा, मछली विक्रेता/फास्ट फुड विक्रेता/होटल/रेस्टुरेन्ट/मॉल इत्यादि किसी भी कूड़ा को सड़क पर नहीं फेकेगा।
2. सभी को अपने अपने दुकान के लिए 01(एक) डस्टबीन रखना बाध्यकारी है।
3. इस डस्टबीन में उत्सर्जित कूड़ा को रखकर नजदीकी कूड़ा प्वाईट/डस्टबीन में डालना है।
4. कोई भी दुकानदार/ठेला/कियोस्क/सब्जी विक्रेता/मीट, मुर्गा, मछली विक्रेता/फास्ट फुड विक्रेता/होटल/रेस्टुरेन्ट/मॉल इत्यादि प्रातः 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक सेकेन्ड्री कूड़ा प्वाईट जो सड़क पर अवस्थित है पर कूड़ा नहीं गिरायेगा ताकि दिन भर सड़क साफ-सुथरा रहें।
5. किसी भी हाल में कूड़ा को यत्र-तत्र सड़क पर नहीं फेका जाएगा।
6. इस आदेश का उल्लंधन करने वाले दण्डात्मक कार्रवाई के भागी होंगे।

सभी कार्यपालक पदाधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करतें हुये इसे पूरी सख्ती से लागू कराई जाय एवं इसका उल्लंघन करनेवाले व्यक्त्यिों पर जुर्माना अधिरोपित करते हुये कड़ाई से कार्रवाई की जाय ।

ह0/-

नगर आयुक्त

ज्ञाप संख्या- 2249 दिनांक- 22/07/2013

प्रतिलिपिः सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी राजस्व पदाधिकारी/सभी अपर नगर आयुक्त,पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/07/13

नगर आयुक्त